राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5(प)/अभि./एसीटीएडी/275(1)/छात्रावास निर्माण/2018–19/29540 दिनांक :07/10/21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र).
चित्तौडगढ़।

विषय : राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास, बिजयपुरघाटा पं.स. चित्तौडगढ की अन्तिम किश्त हस्तांतरण की स्वीकृति।

प्रसंग : आपका पत्रांक जि.प.चि/माडा/2021–22/415 दिनांक 22.09.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय पत्रांक 30059–72 दिनांक 20.08.2018 द्वारा बालिका आश्रम छात्रावास बिजयपुर घाटा निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 260.00 लाख की जारी की गई एवं विभागीय पत्रांक 31521–31 दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्रथम किश्त के तौर पर राशि रूपये 100.00 लाख आपके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये गये। विभागीय पत्रांक 9839–52 दिनांक 21.05.2020 के क्रम मे राशि रू. 90.00 लाख द्वितीय किश्त के तौर पर अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भीलवाड़ा को हस्तांतरित किये गये।

अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भीलवाड़ा के पत्रांक 852 दिनांक 01.09.2021 एवं प्रासंगिक पत्र अनुसार उक्त कार्य पूर्ण होकर हैण्डऑवर, टेकनऑवर की कार्यवाही कर ली गई है। अतः शेष हस्तांतरण योग्य राशि रू. 48.56 लाख (238.56 - 190.00) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौडगढ़ को निम्न तालिका के कॉलम संख्या–2 में वर्णित मद/योजना के सम्मुख कॉलम संख्या–8 के वर्णनानुसार शेष बचत राशि मे से कॉलम संख्या–9 के अनुसार व्यवर्तन करते हुए प्रभारित करने एवं हस्तांतरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(राशि लाखो मे)

क्र. स.	नाम योजना	मद	स्त्रोत	क्षेत्र	स्वीकृति संख्या	वर्ष	राशि	व्यवर्तन राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22 कन्या छात्रावासों के शेष निर्माण कार्य।	JKN	CAP	TSP	36	2017-18	105.37	48.56

उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ एवं कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पूर्ण होने के आधार पर ही कार्यकारी एजेन्सी को अन्तिम किश्त का भुगतान किया जावे।

(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

एफ 5(प)/अभि./एसीटीएडी/275(1)/छात्रावास निर्माण/2018–19/ दिनांक
प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ (राजस्थान)।

5. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर/भीलवाडा।
8. उप निदेशक शिक्षा कार्यालय हाजा।
9. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त स्वीकृति अनुसार जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–36/2017–18 मे से राशि रू. 48.56 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौडगढ को हस्तांतरित करे।
10. निदेशक मोनिटरिंग शाखा कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।

//

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
Com,Website www.tad.rajasthan.gov.in ई–मेल : comm.tad@ rajasthan.gov.in